न्यायालय सिविल जज(सीनियर डिवीजन), हरिद्वार।
मूल वाद संख्या–219/2022
सी.आई.एस. नम्बर–230/2022
श्रीमती अंजु देवी बनाम जसराम व अन्य।

दिनांक–22.11.2024
वादी के विद्वान अधिवक्ता – सुश्री सुचिता।
प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता – श्री मौ0 वैश आलम।

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। वादी एवं प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्तागण उपस्थित आये। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को प्रार्थना पत्र कागज संख्या 36ग2 एवं आपत्ति का0 सं0 37ग2 पर सुना।

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 36ग2 एवं आपत्ति का0 सं0 37ग2 का निस्तारण :–

02. वादी के द्वारा प्रार्थना पत्र 36ग2 प्रस्तुत कर दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति चाही गयी है। प्रार्थना पत्र में वादी के कथन हैं कि प्रश्नगत वाद में उसके द्वारा कुछ दस्तावेज भूलवश दाखिल करने से रह गये हैं, उक्त दस्तावेज प्रश्नगत वाद के निस्तारण हेतु महत्वपूर्ण हैं। अतः संलग्न सूची से प्रस्तुत दस्तावेज पत्रावली पर दाखिल करने की कृपा कर दी जाये।

03. प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का0 सं0 37ग2 हैं। आपत्तियों के अनुसार वादी का प्रार्थना पत्र गलत एवं असत्य कथनों पर आधारित है। वादी के पास उक्त दस्तावेज पूर्व से ही उपलब्ध थे परन्तु उसके द्वारा दस्तावेज विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का कारण प्रार्थना पत्र में दर्शित नहीं किया गया है। वादी का उद्देश्य वाद की कार्यवाही को लम्बित करना है इसलिए वादी का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य है।

04. पत्रावली का अवलोकन किया।

05. वादी द्वारा कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज पत्रावली पर दाखिल करने की अनुमति चाही गयी है। इन दस्तावेजों में नकल खतौनी एवं विक्रय पत्र दिनांकित् 07.06.2022 शामिल हैं, जो वाद का मुख्य आधार है। उक्त दस्तावेज सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 14 के अन्तर्गत वादी को वादपत्र के साथ प्रस्तुत करने चाहिए थे। वर्तमान में वाद में विवाद्यक विरचित नहीं हुए हैं। उक्त दस्तावेज महत्वपूर्ण होने के साथ वाद के सम्यक् एवं न्यायसंगत निस्तारण हेतु सुसंगत हैं। दस्तावेजों के दाखिल होने से पक्षकारों के हितों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। जहां तक विलम्ब का प्रश्न है, उसकी पूर्ति उचित हर्जाना अधिरोपित कर की जा सकती है। तद्नुसार वादी का

प्रार्थना पत्र निम्नलिखित आदेश के साथ हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है–

<u>आदेश</u>

वादी का प्रार्थना पत्र कागज संख्या 36ग2, प्रतिवादीगण को देय 200/–रुपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। तद्नुसार प्रतिवादीगण की आपत्तियां का0 सं0 37ग2 निस्तारित की जाती हैं। प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज पत्रावली पर ग्रहण किये जाते हैं। प्रतिवादीगण खण्डन में, यदि कोई दस्तावेज हो, तो नियत दिनांक तक प्रस्तुत करे। पत्रावली प्रार्थना पत्र कागज संख्या 7ग2 की सुनवाई एवं विवाद्यक विरचित किये जाने हेतु दिनांक 08.01.2025 को प्रस्तुत की जाये।

(संदीप कुमार)
सिविल जज (सीनियर डिवीजन),
हरिद्वार।